पत्र सं०--6 एस०एस०(6)55 / 2013-- 3026 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना--15, दिनांक--17 / 06 / 2026.

विषय-- **वित्तीय वर्ष 2026--27 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना हेतु कुल रुपये 870.26920 लाख (आठ करोड़ सत्तर लाख छब्बीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र की लागत की योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या--3381, दिनांक--28.07.2025 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026--27 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना हेतु कुल रुपये 870.26920 लाख (आठ करोड़ सत्तर लाख छब्बीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र की लागत की योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कीम का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक--I, II, III, IV एवं V के रूप में संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मत्स्य कृषकों को नवीनतम मात्स्यिकी एवं मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षित करना है। साथ ही मात्स्यिकी तकनीक एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वृहद रूप से प्रचार--प्रसार हेतु कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन कर मत्स्य पालन तकनीकी को किसानों तक पहुँचाया जाना है ताकि राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि के साथ--साथ मत्स्य पालकों के वार्षिक आय में अभिवृद्धि हो सके।

3. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026--27 में राज्य के कुल 9685 मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही, मत्स्य निदेशालय एवं इनके अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर मत्स्य प्रदर्शनी / सेमिनार / कार्यशाला / कॉन्फ्रेंस / किसान मेला आयोजित कर, मत्स्य पालकों एवं विभागीय पदाधिकारियों से मात्स्यिकी विकास हेतु सीधा संवाद स्थापित किये जाने का भी उद्देश्य है ताकि सतत् स्थाई मात्स्यिकी विकास हेतु रणनीती विकसित किया जा सके।

4. इस योजना के दो प्रकल्प हैं जिसका विवरण निम्न है :–

(i) मत्स्य प्रशिक्षण की योजना।

(ii) कॉन्फ्रेंस / कार्यशाला / सेमिनार तथा प्रकाशन–मुद्रण की योजना।

(i) मत्स्य प्रशिक्षण की योजना :–

(क) मत्स्य प्रशिक्षण संस्थानों की विवरणी :–

मत्स्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर अवस्थित प्रतिष्ठित मात्स्यिकी संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न मात्स्यिकी प्रशिक्षण संस्थानों यथा– केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र (काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश), केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र (साल्टलेक, कोलकाता), केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (बैरकपुर, कोलकाता), मात्स्यिकी महाविद्यालय (पंतनगर, उत्तराखंड), मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र (मीठापुर, पटना), दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (शास्त्रीनगर, पटना), आई०सी०ए०आर० (पटना), कॉलेज ऑफ फिशरीज (किशनगंज), मात्स्यिकी महाविद्यालय (ढ़ोली, मुजफ्फरपुर), केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र (मोतीपुर, मुजफ्फरपुर) संस्थानों / केन्द्रों में कुल 332 बैचों में राज्य के कुल 9685 मत्स्य कृषकों / मछुआरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

संस्थानवार बैचों एवं मत्स्य कृषकों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

i. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के काकीनाडा केन्द्र में 25 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 5 बैच में कुल 125 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

ii. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र, साल्टलेक, कोलकाता केन्द्र में 30 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 15 बैच में कुल 450 मत्स्य कृषकों प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

iii. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर में 30 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 15 बैच में कुल 450 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

iv. मात्स्यिकी महाविद्यालय पंतनगर, (उत्तराखंड) में 30 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 21 बैच में कुल 630 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

v. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, पावरखेड़ा (मध्य्र प्रदेश) में 15 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 10 बैच में कुल 150 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

vi. मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना केन्द्र में 30 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 120 बैच में कुल 3600 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

vii. दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में 30 प्रशिक्षणार्थियों के 100 बैच कुल 3000 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

viii. आई०सी०ए०आर०, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना, में 30 प्रशिक्षणार्थियों के 6 बैच में कुल 180 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

ix. मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज में 30 प्रशिक्षणार्थियों के 10 बैच में कुल 300 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

x. मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढ़ोली, मुजफ्फरपुर में 30 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 10 बैच में कुल 300 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

xi. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में 25 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 20 बैच में कुल 500 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण योजना की प्रमुख विशेषताएँ :-

(i). इस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत केवल राज्य से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में जाने-आने हेतु प्रशिक्षणार्थियों को मार्ग व्यय (अल्पाहार, भोजन आदि) देय होंगे। मत्स्य प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, काकीनाडा के लिए रुपये 1000/-(एक हजार रुपये) तथा राज्य से बाहर के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए रुपये 500/-(पाँच सौ रुपये) मार्ग व्यय दिये जायेंगे। राज्य के अन्दर के प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु मार्ग व्यय (अल्पाहार, भोजन आदि) अनुमान्य नहीं होंगे।

(ii). केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, काकीनाडा में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने निबंधन हेतु रुपये 250/-(दो सौ पचास रुपये) एवं अन्य सभी प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थी रुपये 100/-(एक सौ रुपये) निबंधन शुल्क अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार राज्य कोष में जमा की जाएगी। निबंधन के उपरांत प्रशिक्षाणार्थी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर उनका निबंधन रद्द कर निबंधन राशि जब्त कर ली जाएगी।

(iii). संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सभी संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों से संपर्क/पत्राचार कर प्रशिक्षण सत्र की तिथि एवं अपने जिले के लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण संस्थानों तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इच्छुक प्रशिक्षाणार्थियों की सूची लक्ष्य के अनुरूप संधारित कर रखेंगे। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ही जिले के प्रशिक्षणार्थियों एवं एक विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण संस्थान तक जाने एवं आने का

शयनयान श्रेणी का रेलवे टिकट आरक्षण की जायेगी। विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी के यात्रा भत्ता की अलग से स्वीकृति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उनके यात्रा भत्ता आदि अनुमान्य भत्ता का भुगतान उनके वेतन शीर्ष से किया जाएगा। राज्य के बाहर सभी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों के मार्ग व्यय (अल्पाहार, भोजन आदि हेतु) का भुगतान जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। राज्य के अंदर एवं बाहर मत्स्य प्रशिक्षणार्थियों को जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने तथा जाने (यात्रा व्यय) हेतु रेल मार्ग से शयनयान श्रेणी एवं बिहार राज्य परिवहन निगम के द्वारा निर्धारित दर अथवा संबधित राज्य सरकार के परिवहन संस्थान के बस भाड़ा की अनुमान्यता होगा।

(iv). सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानो/केन्द्रों को भुगतेय राशि की विवरणी अनुलग्नक–III तथा संस्थानवार–जिलावार लक्ष्य आदि की विवरणी अनुलग्नक–IV में वर्णित प्रशिक्षण संस्थान के लिए दिये जाने वाले राशि की व्यय संबंधित संस्थान से विपत्र/प्री–रिसिप्ट प्राप्त कर करेंगे। तत्पश्चात् जाँचोपरांत संस्थान को भुगतेय राशि को जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित कोषागार से राशि आहरित कर भुगतान की जाएगी। साथ ही, प्रशिक्षणार्थियों को देय मार्ग व्यय (अल्पाहार, भोजन) तथा जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने तथा जाने (यात्रा व्यय) आदि अनुमान्य घटकों पर होने वाले व्यय भी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित कोषागार से आहरित कर व्यय किया जायेगा।

(v). मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना को भुगतेय राशि की व्यय संयुक्त मत्स्य निदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना के द्वारा किया जायेगा। मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में प्रशिक्षणार्थियों के आगमन एवं वापसी के किराये का आहरण एवं भुगतान संबधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

(vi). सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के मामले में–अनुमान्य जी०एस०टी०/कर आदि (यदि लागू हो) की कटौती कर सरकारी कोष में जमा करने की पूर्ण दायित्व संबंधित संस्थानों/केन्द्रों की होगी।

(vii). योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रशिक्षण संस्थान/रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किसी भी रूप में यदि क्रमशः प्रशिक्षण या इससे सम्बद्ध शुल्क, आदि/रेल किराया में कम/बृद्धि की जाती है तथा अपरिहार्य कारणवश जैसे प्राकृतिक आपदा (बाढ़, महामारी, सुखाड़, भूकम्प, अतिवृष्टि, आदि), चुनाव अथवा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण

कार्यक्रम की तिथियों/अवधि में परिवर्तन करने के फलस्वरूप यदि रेल यात्रा आरक्षण टिकट रद्द करना पड़े तो दोनों स्थितियों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) अथवा निदेशक मत्स्य से अनुमोदनोपरांत योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अथवा प्रशिक्षण–कार्यक्रम के अवधि में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव अर्थात कम अथवा ज्यादा कर सकेंगे। लेकिन व्यय की राशि इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के अन्दर ही सीमित रहेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इससे सम्बन्धित विस्तृत ब्यौरा ससमय निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(viii). चयनित किसी प्रशिक्षण संस्थान में कतिपय कारणवश किसी जिले से कोई प्रशिक्षण दल का प्रशिक्षण उक्त संस्थान यदि न हो सके, तो ऐसी स्थिति में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के आदेश से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्य प्रशिक्षण संस्थान से सहमति लेकर अतिरिक्त बैच प्रशिक्षण संस्थान को भेजा सकेगा लेकिन व्यय की राशि स्वीकृत राशि के भीतर ही सीमित रहेगी। इस हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए समुचित कार्रवाई सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना द्वारा किया जायेगा।

(ix). मत्स्य पालकों के इस पूरी प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन की प्रगति, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं व्ययहारिक समीक्षा/मूल्यांकन संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना के द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक माह उनके द्वारा प्रगति प्रतिवेदन एवं लाभुकों की सूची मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) अपने जिले से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में प्रशिक्षित मत्स्य पालकों की सूची संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना :–

i. मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में प्रति बैच अधिकतम रुपये 57,636 (सत्तवन हजार छः सौ छत्तीस रु० मात्र) राशि व्यय होने का अनुमान है, जिसका अवयववार विवरणी अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है।

ii. मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द, मीठापुर, पटना में उक्त छः दिवसीय नियमित प्रशिक्षण हेतु कुल रुपये 168.16320 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार तीन सौ बीस रुरुपये) राशि व्यय होने का अनुमान

है। इस कुल राशि में से मत्स्य प्रशिक्षण केन्द, मीठापुर, पटना में निविदा के माध्यम से चयनित कैंटीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थी एवं साधन सेवी के भोजन की व्यवस्था हेतु कुल रुपये 48.60000 (अड़तालीस लाख साठ हजार रुपये) तथा प्रशिक्षण व्यय मद में रुपये119.56320 लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार तीन सौ बीस रुपये) राशि व्यय होने का अनुमान है। उक्त कुल 168.16320 लाख में से रुपये 117.76320 लाख राशि संयुक्त मत्स्य निदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना को तथा शेष रुपये 50.40 लाख राशि विभिन्न जिला मत्स्य कार्यालयों को प्रशिक्षणार्थियो को पटना भेजने एवं वापसी हेतु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना हेतु प्रशिक्षण व्यय मद में स्वीकृत राशि से बकाया राशि का भुगतान किये जाने की अनुमान्यता होगी।

iii. प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक दिन प्रशिक्षणार्थी को मत्स्य प्रक्षेत्र भ्रमण/हैचरी पर भ्रमण कराया जाएगा एवं सफल मत्स्य कृषक से अन्तर्क्रिया कराया जाएगा। मात्स्यिकी क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे ऐसे प्रक्षेत्रों/हैचरियों को चिन्हित करने का कार्य संबंधित मालिक/ऑनर के सहमति से मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर के द्वारा की जाएगी ताकि भ्रमण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रभावी अन्तर्क्रिया सुनिश्चित हो सके।

iv. भ्रमण हेतु चिन्हित ऐसे मत्स्य प्रक्षेत्र इकाइयों/हैचरीयों के भ्रमणोपरांत लाभार्थियों से फीड–बैक लिया जाएगा जिसके आधार पर ही इससे आगे की सेवा ली जा सकेगी। भ्रमण का रूट–चार्ट इस प्रकार तैयार की जाएगी जिससे एक से अधिक चिन्हित मत्स्य इकाइयों का भ्रमण निर्धारित दूरी के अन्दर हो सके। बेहतर सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे प्रगतिशील कृषकों को प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा चिन्हित कर प्रशस्ति पत्र/मोमेन्टो/शॉल/प्रतीक चिन्ह आदि दी जा सकेगी। क्षेत्र भ्रमण के लिए बिहार राज्य परिवहन निगम/बिहार राज्य पर्यटन निगम द्वारा स्वीकृत दर से वाहन भाड़े पर लेकर भुगतान किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु पात्रता :–

i इच्छुक मत्स्य पालक जो निजी/पटट्ा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हो।

ii इच्छुक कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हों तथा बैंक ऋण/स्वलागत से नया तालाब/नर्सरी तालाब/रियरिंग तालाब निर्माण/आर्द्रभूमि का विकास/ मत्स्यबीज हैचरी/फिस फिड मिल/समेकित मत्स्य पालन/समेकित चौर विकास/उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन/बॉयोफ्लाक/केज/पेन/आर०ए०एस० में मत्स्य पालन आदि योजनाओं

का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा चयनित हो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अथवा संबंधित कार्यालय में आवेदन समर्पित किया हो।

iii प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य हों।

उपर्युक्त i, ii एवं iii के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदक अपना भूमि से संबंधित रसीद/लीज एकरारनामा/पटट्ा, सदस्यता प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे। जिले के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, वैसे मत्स्य पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ऋण अथवा स्वलागत से वित्त पोषित हेतु आवेदन समर्पित किये हो/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य/सदस्या हो तथा पटटे पर सरकारी तालाब में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो। शेष लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार किया जायेगा, जिन्हे आगामी प्रशिक्षण की योजना में प्राथमिकता देते हुए सम्मलित किया जायेगा।

iv इच्छुक प्रशिक्षित मत्स्य पालकों को तीन वर्ष के बाद ही पुनः प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा, परन्तु चयन में, पहली बार प्रशिक्षण लेने वाले इच्छुक कृषको को प्राथमिकता दी जायेगी।

(II) कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार, प्रकाशन एवं मुद्रण, सामग्री एवं पूर्तियां तथा मशीन एवं उपस्कर की योजना :-

(i). कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार की योजना– इस योजना के तहत नवीनतम मात्स्यिकी तकनीक तथा मत्स्य निदेशालय के द्वारा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर सेमिनार/कार्यशाला/विशेष मछुआरा दिवस समारोह/कृषि मेला/गणतंत्र–दिवस–झांकी/प्रदर्शनी/एक्सपो/संगोष्टी आदि सभी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर भी सेमिनार/कार्यशाला एवं अन्य प्रर्दशनी का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रमण्डलों/जिलों का चयन निदेशक मत्स्य द्वारा किया जायेगा। कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के आयोजन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय जैसे हॉल का किराया एवं सजावट, पुस्तक/पैम्फ्लेट/लिफलेट/बैनर/पोस्टर/कुपन/आमंत्रण कार्ड/पहचान–पत्र/प्रस्सति–पत्र/प्रमाण पत्र/सफलता की कहानी आदि की छपाई, फोटोग्राफी, मत्स्य प्रगति से संबंधित सी०डी०/लघु फिल्म/सफलता की कहानी से सम्बधित लघु फिल्म/चलचित्र का

निर्माण, उद्घोषक का मानदेय/पारिश्रमिक, मजदूर का पारिश्रमिक, साज–सज्जा, विडियोग्राफी, समारोह के आयोजन हेतु किराये पर लिए जाने वाले वाहनो/इवेंट मैनेजमेंट (कार्यक्रम के आयोजन–प्रबंधन) पर व्यय/विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार कार्यशाला में भाग लेने वाले साधन–सेवी/विषय विशेषज्ञ/वैज्ञानिक/मत्स्य पालक/मछुआरों को सेमिनार, कार्यशाला में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय की अनुमान्यता होगी। जेनरेटर/लाइटिंग/प्रोजेक्टर आदि के किराया का भुगतान, अतिथिगृह के किराया/मोमेन्टो/स्मृति–चिन्ह/शौल आदि का क्रय/भोजन/अल्प आहार/चाय/स्नैक्स/जल आदि सभी प्रकार के सम्बद्ध व्यय इसी मद से किया जाएगा। साथ ही मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना को मत्स्य प्रसार कार्यक्रम हेतु राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय मेला/प्रदर्शनी का अयोजन (मेला के अयोजन के क्रम अल्प–आहार/जल आदि), प्रचार–प्रसार, सामग्री का मुद्रण, भाड़ा पर वाहन, लघु फिल्म/चलचित्र/सफलता की कहानी से सम्बन्धित लघु–फिल्म का निर्माण, आदि हेतु रुपये 5.00 लाख राशि का प्रावधान किया गया है जिसका भुगतान योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से ही आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इस मद में शेष रुपये 25.00 लाख राशि निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार आदि के आयोजन हेतु आवंटित किया जायेगा। इस प्रकल्प पर कुल रुपये 30 लाख राशि व्यय होने का अनुमान है।

(ii). प्रकाशन एवं मुद्रण की योजना– राज्य में कार्यान्वित/संचालित मात्स्यिकी योजनाओं के प्रचार–प्रसार, टेबल–काफी बुक, मत्स्य पालन के तकनीक, सफलता की कहानी से सम्बन्धित सामाग्रियों/पुस्तक/पैम्फ्लेट/लिफलेट आदि का मुद्रण इस योजना के तहत प्रकाशन एवं मुद्रण विषय शीर्ष में उपबंधित 20.00 लाख राशि से किये जाने की अनुमान्यता होगी। इस मद की राशि निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को आवंटित किया जायेगा।

5. इस योजनान्तर्गत उपर्युक्त सभी प्रकल्पों यथा–मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण (व्यवसायिक/कला/तकनकी सेवायें मद की राशि सहित) हेतु रुपये 820.26920 लाख, प्रकाशन मुद्रण हेतु रुपये 20.00 लाख एवं कॉन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार हेतु रुपये 30.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 870.26920 लाख व्यय होने की अनुमान्यता होगी (व्यय विवरणी अनुलग्नक–I संलग्न)।

6. योजनान्तर्गत (i) जिलों हेतु स्वीकृत राशि जिसमें प्रशिक्षार्थियों के जिला मुख्यालय से सभी संस्थानों तक जाने एवं वापस आने का यात्रा किराया एवं अनुमान्य मार्ग व्यय की राशि तथा संस्थानों (मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना को छोड़ कर) को भुगतेय

राशि शामिल है तथा (ii) मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना को कैंटीन सेवा प्रदाता द्वारा प्रशिक्षणार्थी एवं साधन सेवी के भोजन की व्यवस्था एवं उक्त संस्थान को भुगतेय प्रशिक्षण व्यय की स्वीकृत राशि से सम्बन्धित विवरणी अनुलग्नक–V संलग्न।

7. अन्य क्रियान्वयन अनुदेश :–

(i). इस प्रशिक्षण योजना हेतु लाभुको का चयन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात विभागीय वेबसाईटः http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन (व्दसपदम) के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा।

(ii). समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विभागीय पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन पूर्ण आवेदन पत्रों को जिला मत्स्य पदाधिकारी सूचीबद्ध करते हुए संधारित करेंगे।

(iii). प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन पोर्टल हमेशा खुली रहेगी। प्रत्येक माह का आखिरी तिथि कट–ऑफ तिथि होगी। उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँचोंपरांत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदनोपरांत चयनित सूची पंजी में तिथिवार संधारित की जाएगी जिससे संभावित लाभार्थियों का एक सुरक्षित पूल तैयार हो सके।

(iv). चयनित सूची पूल से ही वरीयता क्रम में उपर से लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

(v). लाभार्थियों के चयन हेतु उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्न रूप से किया जाता है –

(क) उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र	– अध्यक्ष
(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	–सदस्य सचिव
(ग) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
(घ) कनिय अभियंता	– सदस्य
(ड़) मत्स्य विकास पदाधिकारी	– सदस्य

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी जिसमें प्रशिक्षण हेतु इच्छुक लाभुकों का चयन योजनान्तर्गत प्रावधान के तहत किया जाएगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मीठापुर, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

9. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को आवंटित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त वर्णित योजनाएँ के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक संशोधन/दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

12. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02–2405001090102 के विषय शीर्ष–0102–16.01 –प्रकाशन एवं मुद्रण, 0102–20.02 –कॉन्फरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार, 0102–20.03 –प्रशिक्षण व्यय में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा तथा विषय शीर्ष–0102–28.04 –व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में उपबंधित रुपये 20.00 लाख एवं शेष रुपये 28.60 लाख अतिरिक्त राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग/आंतरिक समंजन के माध्यम प्राप्त कर किया जाएगा।

13. यह स्कीम चालू राज्य स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय मंत्री सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)55/2013 के पृष्ठ–183/टि० एवं दिनांक–25.05.2026.

14. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा–निर्देश जारी करेंगे।

15. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)55/2013 के पृष्ठ संख्या–181/टि० डायरी क्रमांक–306, दिनांक–18.05.2026.

17. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55 / 2013–3026 / पटना–15, दिनांक–17/06/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55 / 2013–3026 / पटना–15, दिनांक–17/06/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार / प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55 / 2013–3026 / पटना–15, दिनांक–17/06/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना / सभी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / कनिय अभियंता / मत्स्य विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55 / 2013– 3026 / पटना–15, दिनांक–17/06/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र (काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश), केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र (साल्टलेक, कोलकाता), केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (बैरकपुर, कोलकाता), मात्स्यिकी महाविद्यालय (पंतनगर, उत्तराखंड), मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र (मीठापुर, पटना), दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (शास्त्रीनगर, पटना), आई०सी०ए०आर० (पटना), कॉलेज ऑफ फिशरीज (किशनगंज), मात्स्यिकी महाविद्यालय (ढ़ोली, मुजफ्फरपुर), केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र (मोतीपुर, मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55/2013–3026 /पटना–15, दिनांक–...17.../06.../2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55/2013–3026 /पटना–15, दिनांक–...17.../06.../2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55/2013–3026 /पटना–15, दिनांक–...17.../06.../2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)55/2013–3026 /पटना–15, दिनांक–...17.../06.../2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02–2405001090102 के अन्तर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना पर अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
(i)	मत्स्य प्रशिक्षण की योजना।	0102–20.03 –प्रशिक्षण व्यय	771.66920	निदेशक मत्स्य / संयुक्त मत्स्य निदेशक, (प्रशिक्षण एवं प्रसार) / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार (सभी), बिहार
		0102–28.04 –व्यावसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ	48.60		
(ii)	प्रकाशन एवं मुद्रण	0102–16.01 –प्रकाशन एवं मुद्रण	20.00		
(iii)	कॉन्फरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	0102–20.02 –कॉन्फरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	30.00		
		योग :–	**870.26920**		

3026
17/06/26

कुल (आठ करोड़ सत्तर लाख छब्बीस हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में प्रति बैच अधिकतम रुपये 57,636 (सत्तावन हजार छः सौ छत्तीस रु०) मात्र राशि व्यय होने का अनुमान है, जिसका अवयववार विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	अवयव का नाम	प्रति प्रशिक्षणार्थी पर होने वाले व्यय राशि	प्रति बैच अधिकतम व्यय राशि	अभ्युक्ति
1	प्रशिक्षण किट (फोल्डर, पेन, नोटबुक, बैग, बुकलेट आदि)	रुपये 700	रुपये 21000	
2	प्रशिक्षण–इनपुट (केमिकल, मछली, फीड, पानी एवं मिटटी के जाँच हेतु किट, गलास–वेयर एवं अन्य सामग्री)	LS	रुपये 1500	
3	क्षेत्र भ्रमण हेतु किराया पर ली गई वाहन के किराया का भुगतान (बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप) (जी०एस०टी० एवं टॉल टैक्स सहित)	LS	रुपये 15000	
4	दो सफाई कर्मी/मजदूर (रुपये 428 प्रति कर्मी/दिन)		रुपये 5136	
5	कपड़ा धुलाई पर व्यय	LS	रुपये 2000	
6	साधन सेवी पर व्यय (अधिकतम 5 साधन सेवी रुपये 1000 के दर से)		रुपये 5000	
7	फोटोग्राफी पर व्यय	LS	रुपये 4000	
8	प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण हेतु चिन्हित इकाई (मत्स्य प्रक्षेत्र/मत्स्य हैचरी/बायोफ्लॉक आदि) के मालिक/संचालक को प्रोत्साहन राशि	LS	रुपये 1000	
9	अन्यान्य व्यय (बैनर/समापन समरोह/रख–रखाव आदि हेतु व्यय)	LS	रुपये 3000	
		प्रति बैच कुल–	**रुपये 57636**	

(सत्तावन हजार छः सौ छत्तीस रुपये) मात्र।

3026
17/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-III

चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना हेतु अनुमानित व्यय की विवरणी।

बजट शीर्ष —2405—मछली पालन, उपमुख्यशीर्ष—00, लघु शीर्ष—109—विस्तार तथा प्रशिक्षण, उपशीर्ष—0102—मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड—02—2405001090102

(राशि रू0 में)

क्र0	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षण अवधि (दिन)	एक बैच में प्रशिक्षणाथी की संख्या	कुल संभावित बैच की संख्या	कुल प्रशिक्षणाथी की संख्या	प्रति प्रशिक्षणार्थी स्लीपर क्लास रेल/बस से जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का संभावित किराया	प्रति प्रशिक्षणार्थी का मार्ग व्यय	प्रति बैच जिला को भुगतेय राशि (आने—जाने पर व्यय)	प्रति बैच संस्थान को भुगतेय राशि	कुल एक बैच पर संभावित व्यय (8+9)	जिला को कुल भुगतेय राशि (आने—जाने पर व्यय)	संस्थान को कुल भुगतेय राशि	0102.20.03 कुल प्रशिक्षण व्यय (12+13)	0102.28.04 व्यावसायिक/कला/तकनी की सेवायें	कुल संभावित व्यय
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)	7	25	5	125	3600	1000	115000	372525	487525	575000	1862625	2437625	0	2437625
2	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, साल्टलेक, कोलकाता	7	30	15	450	2000	500	75000	420280	495280	1125000	6304200	7429200	0	7429200
3	केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता	7	30	15	450	2000	500	75000	355485	430485	1125000	5332275	6457275	0	6457275
4	मात्स्यिकी महाविद्यालय पंतनगर, (उत्तराखंड)	6	30	21	630	1400	500	57000	200000	257000	1197000	4200000	5397000	0	5397000
5	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, पावरखेड़ा (मध्य प्रदेश)	7	15	10	150	3600	1000	69000	257950	326950	690000	2579500	3269500	0	3269500
6	मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना	6	30	120	3600	1400	0	42000	57636	99636	5040000	6916320	11956320	4860000	16816320
7	दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना	6	30	100	3000	1400	0	42000	216000	258000	4200000	21600000	25800000	0	25800000
8	आई0सी0ए0आर0, पटना	5	30	6	180	1400	0	42000	215600	257600	252000	1293600	1545600	0	1545600
9	मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज	5	30	10	300	1400	0	42000	165000	207000	420000	1650000	2070000	0	2070000
10	मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर	5	30	10	300	1400	0	42000	198440	240440	420000	1984400	2404400	0	2404400
11	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर	7	25	20	500	1400	0	35000	385000	420000	700000	7700000	8400000	0	8400000
	कुल :-			**332**	**9685**						**15744000**	**61422920**	**77166920**	**4860000**	**82026920**
12	0102—16.01—प्रकाशन एवं मुद्रण														2000000
13	0102.20.02—कन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार														3000000
	कुल योग:-			**332**	**9685**						**15744000**	**61422920**	**77166920**	**4860000**	**87026920**

3026
17/06/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–IV

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में जिलावार बैच की संख्या एवं संभावित व्यय की विवरणी।

क्र0	जिला / संस्थान का नाम	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)			केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, साल्टलेक, कोलकता (प0 ब0)			केन्द्रीय अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकता (प0 बंगाल)			मात्स्यिकी महाविद्यालय पंतनगर, (उत्तराखंड)			केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के उपकेन्द्र, पावरखेडा (मध्य प्रदेश)			मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना (छः दिवसीय प्रशिक्षण)				
		बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	संस्थान को कुल भुगतेय राशि	(आने–जाने) जिलों को भुगतेय राशि	कुल संभावित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	पटना				1	495280	495280										3	99636	172908	126000	298908
2	भोजपुर				1	495280	495280										2	99636	115272	84000	199272
3	बक्सर							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
4	रोहतास							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
5	नालन्दा				1	495280	495280							1	326950	326950	4	99636	230544	168000	398544
6	कैमूर							1	430485	430485	1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
7	गया										1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
8	जहानाबाद				1	495280	495280										2	99636	115272	84000	199272
9	औरंगाबाद							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
10	नवादा							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
11	अरवल				1	495280	495280										2	99636	115272	84000	199272
12	मुजफ्फरपुर				1	495280	495280				1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
13	सीतामढ़ी				1	495280	495280				1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
14	पू0 चम्पारण	1	487525	487525							1	257000	257000	1	326950	326950	4	99636	230544	168000	398544
15	प0 चम्पारण				1	495280	495280				1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
16	वैशाली	1	487525	487525							1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
17	शिवहर										1	257000	257000				2	99636	115272	84000	199272
18	सारण							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
19	गोपालगंज							1	430485	430485				1	326950	326950	3	99636	172908	126000	298908
20	सिवान				1	495280	495280										3	99636	172908	126000	298908
21	दरभंगा				1	495280	495280				1	257000	257000	1	326950	326950	4	99636	230544	168000	398544
22	मधुबनी	1	487525	487525							1	257000	257000	1	326950	326950	4	99636	230544	168000	398544
23	समस्तीपुर				1	495280	495280				1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
24	सहरसा							1	430485	430485	1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
25	सुपौल				1	495280	495280				1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
26	मधेपुरा							1	430485	430485							3	99636	172908	126000	298908
27	पूर्णियाँ				1	495280	495280										3	99636	172908	126000	298908
28	कटिहार							1	430485	430485	1	257000	257000				4	99636	230544	168000	398544
29	अररिया										1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
30	किशनगंज							1	430485	430485	1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
31	भागलपुर	1	487525	487525	1	495280	495280										3	99636	172908	126000	298908
32	बाँका							1	430485	430485	1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
33	मुंगेर										1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
34	जमुई							1	430485	430485							3	99636	172908	126000	298908
35	खगड़िया							1	430485	430485	1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
36	बेगूसराय	1	487525	487525							1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
37	लखीसराय							1	430485	430485							3	99636	172908	126000	298908
38	शेखपुरा				1	495280	495280				1	257000	257000				3	99636	172908	126000	298908
	कुल योग	**5**		**2437625**	**15**		**7429200**	**15**		**6457275**	**21**		**5397000**	**10**		**3269500**	**120**	**3786168**	**6916320**	**5040000**	**11956320**

3026
17/06/26

अनुलग्नक–IV

वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में जिलावार बैच की संख्या एवं संभावित व्यय की विवरणी।

क्र0	जिला / संस्थान का नाम	दीप नारायण सिंह सहकारी प्रबंधन संस्थान शास्त्रीनगर, पटना			आई सी ए आर, पटना,वेटनरी कॉलेज कैम्पस,पटना			कॉलेज ऑफ फिशरीज, किशनगंज			मात्स्यिकी महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर			केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्र, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर			कुल स्वीकृत राशि
		बैच की सं	प्रति बैच सम्भावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सम्भावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	बैच की सं	प्रति बैच सभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	पटना	2	258000	516000	1	257600	257600										1567788
2	भोजपुर	3	258000	774000	1	257600	257600										1726152
3	बक्सर	3	258000	774000													1830343
4	रोहतास	3	258000	774000													1830343
5	नालन्दा	3	258000	774000													1994774
6	कैमूर	3	258000	774000													1760393
7	गया	3	258000	774000													1329908
8	जहानाबाद	2	258000	516000	1	257600	257600										1468152
9	औरंगाबाद	3	258000	774000													1830343
10	नवादा	2	258000	516000			0										1572343
11	अरवल	2	258000	516000	1	257600	257600										1468152
12	मुजफ्फरपुर	3	258000	774000							1	240440	240440	1	420000	420000	2585264
13	सीतामढ़ी	2	258000	516000							1	240440	240440	1	420000	420000	2227628
14	पू0 चम्पारण	2	258000	516000							1	240440	240440	1	420000	420000	2646459
15	प0 चम्पारण	3	258000	774000							1	240440	240440	1	420000	420000	2585264
16	वैशाली	3	258000	774000							1	240440	240440	1	420000	420000	2577509
17	शिवहर	2	258000	516000							1	240440	240440	1	420000	420000	1632712
18	सारण	3	258000	774000										1	420000	420000	2250343
19	गोपालगंज	3	258000	774000										1	420000	420000	2250343
20	सिवान	2	258000	516000										1	420000	420000	1730188
21	दरभंगा	4	258000	1032000				1	207000	207000	1	240440	240440	1	420000	420000	3377214
22	मधुबनी	4	258000	1032000				1	207000	207000	1	240440	240440	1	420000	420000	3369459
23	समस्तीपुर	3	258000	774000				1	207000	207000	1	240440	240440	1	420000	420000	2792264
24	सहरसा	3	258000	774000				1	207000	207000				1	420000	420000	2387393
25	सुपौल	3	258000	774000				1	207000	207000				1	420000	420000	2551824
26	मधेपुरा	3	258000	774000				1	207000	207000							1710393
27	पूर्णियाँ	3	258000	774000				1	207000	207000				1	420000	420000	2195188
28	कटिहार	2	258000	516000				1	207000	207000				1	420000	420000	2229029
29	अररिया	2	258000	516000				1	207000	207000							1278908
30	किशनगंज	2	258000	516000	1	257600	257600	1	207000	207000							1966993
31	भागलपुर	2	258000	516000										1	420000	420000	2217713
32	बाँका	2	258000	516000										1	420000	420000	1922393
33	मुंगेर	2	258000	516000													1071908
34	जमुई	2	258000	516000													1245393
35	खगड़िया	3	258000	774000										1	420000	420000	2180393
36	बेगूसराय	2	258000	516000							1	240440	240440				1799873
37	लखीसराय	3	258000	774000													1503393
38	शेखपुरा	3	258000	774000	1	257600	257600							1	420000	420000	2502788
	कुल योग	**100**	**9804000**	**25800000**	**6**	**1545600**	**1545600**	**10**	**2070000**	**2070000**	**10**	**2404400**	**2404400**	**20**	**8400000**	**8400000**	**77166920**

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–V

तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना से संबंधित कार्यालयवार स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(राशि रुपये में)

क्र0	जिला / संस्थान का नाम	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य प्रसार, विपत्र कोड 02–2405001090102			कुल राशि (राशि रू0 में)
		0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय		0102–28.04 व्यावसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ	
		मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर हेतु स्वीकृत राशि	जिलों हेतु स्वीकृत राशि		
1	2	3	4	5	6
1	मीठापुर, पटना	6916320		4860000	11776320
2	पटना		1394880		1394880
3	भोजपुर		1610880		1610880
4	बक्सर		1657435		1657435
5	रोहतास		1657435		1657435
6	नालन्दा		1764230		1764230
7	कैमूर		1587485		1587485
8	गया		1157000		1157000
9	जहानाबाद		1352880		1352880
10	औरंगाबाद		1657435		1657435
11	नवादा		1399435		1399435
12	अरवल		1352880		1352880
13	मुजफ्फरपुर		2354720		2354720
14	सीतामढ़ी		2054720		2054720
15	पू0 चम्पारण		2415915		2415915
16	प0 चम्पारण		2354720		2354720
17	वैशाली		2346965		2346965
18	शिवहर		1517440		1517440
19	सारण		2077435		2077435
20	गोपालगंज		2077435		2077435
21	सिवान		1557280		1557280
22	दरभंगा		3146670		3146670
23	मधुबनी		3138915		3138915
24	समस्तीपुर		2561720		2561720
25	सहरसा		2214485		2214485
26	सुपौल		2321280		2321280
27	मधेपुरा		1537485		1537485
28	पूर्णियाँ		2022280		2022280
29	कटिहार		1998485		1998485
30	अररिया		1106000		1106000
31	किशनगंज		1794085		1794085
32	भागलपुर		2044805		2044805
33	बांका		1749485		1749485
34	मुंगेर		899000		899000
35	जमुई		1072485		1072485
36	खगड़िया		2007485		2007485
37	बेगूसराय		1626965		1626965
38	लखीसराय		1330485		1330485
39	शेखपुरा		2329880		2329880
	कुल योग	**6916320**	**70250600**	**4860000**	**82026920**

नोट–उपर्युक्त जिलों हेतु स्वीकृत राशि में (1) प्रशिक्षार्थियों के जिला मुख्यालय से सभी संस्थानों तक जाने एवं वापस आने का यात्रा किराया एवं अनुमान्य मार्ग व्यय की राशि तथा (2) संस्थानों (मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना को छोड़ कर) को भुगतेय राशि शामिल है।

3026
17/06/26

सरकार के संयुक्त सचिव